संख्या-12/2019/4010/सैंतीस-2-2018-1(35)/2014

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-14 फरवरी, 2019

विषयः- **नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-22 के अन्तर्गत स्वीकृत 22 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-412/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-21/2015-16, दिनांक-26.11.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-22 में अनुमोदित निम्नलिखित 22 पशुचिकित्सालयों का निर्माण उनके सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्था से कराये जाने हेतु कुल रू0-886.16 लाख (रूपये आठ करोड़ छियासी लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	नामित कार्यदायी संस्था
1	बस्ती	चिलमा बाजार	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
2	गाजीपुर	करण्डा	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
3	गाजीपुर	दिलदारनगर	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
4	हमीरपुर	गोहाण्ड	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
5	हमीरपुर	सरीला	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
6	हमीरपुर	सुमेरपुर	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
7	लखनऊ	गंगागंज	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
8	लखनऊ	सिसेण्डी	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
9	रामपुर	शाहबाद	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
10	रामपुर	टाण्डा	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
11	सहारनपुर	कलसिया	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
12	सहारनपुर	पुवारका	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
13	सहारनपुर	तितरो	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
14	सम्भल	जूनावई	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
15	शामली	लॉक	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
16	सीतापुर	सेलेमऊ	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
17	सुल्तानपुर	दोस्तपुर	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
18	उन्नाव	मियागंज	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
19	उन्नाव	कुरसठ	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
20	उन्नाव	शाहपुरटोण्डा	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	उन्नाव	सोनिक	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
22	फिरोजाबाद	सिरसागंज	40.28	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड)
योग-			**886.16**	

(रूपये आठ करोड़ छियासी लाख सोलह हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त संबंधित पशु चिकित्सालय की धनराशि आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। निर्धारित मानक मद से इतर अन्य किसी मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक तकनीकी/वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
9. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
10. आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
11. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-86/दस-2019, दिनांक-28.01.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-12/2019/4010(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैक्सफेड), गोमतीनगर, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।